न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 :13/2019

अनवान :

अजीतसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

– अप्रार्थीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : **प्रार्थी**

वकील श्री नरेन्द्र सिंह : **अप्रार्थी सं0 1**

पेरोकार राज : **अप्रार्थी सं0 2**

निर्णय **दिनांक :** 25.06.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि गांव भनाई के वर्तमान खाता सं0 2/2 के खसरा सं0 256/1 की 3.0740 है0 बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गांव भनाई के खाता सं0 29 के खसरा सं0 269/1 की 4.894 है0 बारानी व खसरा सं0 857/33 की 5.728 है0 बारानी की कुल खसरा 2 की 10.622 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त भूमि में आवागमन हेतु रास्ता मंजूर शुदा नहीं है। रास्ता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए अप्रार्थी उम्मेदसिंह की कृषि भूमि जो गांव भनाई के खाता सं0 29 के खसरा सं0 268/1 की 4.894 है0 बारानी व खसरा सं0 857/33 की 5.728 है0 बारानी की कुल खसरा 2 की 10.622 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें खसरा संख्या 269/1 की 4.894 है0 भूमि पक्की सड़क कोलतार युक्त भादरा राजगढ से चिपती हुई है। उक्त भूमि में से उतरी ओर से सड़क के चिपते हुए 2 गट्ठा चौडाई यानि 16–1/2 फुट में व 2 बिस्वांसी लम्बाई में यानि 16–1/2 फुट भूमि अप्रार्थी की लगती है। उक्त भूमि में से ही प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए आवागमन करता है तथा उक्त रास्ता की प्रार्थी को मंजूर शुदा सड़क से नजदीकी व सुविधाजनक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने व भूमि नहीं लेने की सूरत में बाजार भाव से कीमत देने की बात कही।

25.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने इकबाल प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं0 2 पेरोकार ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी अजीतसिंह के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई के खाता सं0 2 की प्रदर्श 1, आंशिक नजरी नक्शा प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 29 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम भनाई के खाता सं0 2 की अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं0 1 ने इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता दर्ज किये जाने व रास्ता के बदले भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर सहमति प्रकट की है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा एक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन व सामान इत्यादि के परिवहन व कृषि भूमि सुधार के लिए रास्ता आवश्यक होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम भनाई के वर्तमान खाता सं0 29 के खसरा सं0 269/1 की 4.894 है0 भूमि पक्की सड़क कोलतारयुक्त भादरा–राजगढ के चिपती हुई है। उक्त भूमि में से उतरी ओर से सड़क के चिपते हुए 2 गट्ठा चौडाई में व 2 बिस्वांसी लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे तथा रास्ता में गई भूमि के एवज में अप्रार्थी के चिपती प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी के खाते से कम की जाकर अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़